भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1221
उत्तर देने की तारीख : 30.07.2024

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन

1221. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है;
(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान केवल 45 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई हैं;
(ग) यदि हां, तो इतनी कम संख्या के क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित निम्न आय वाले छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा यथा मास्टर डिग्री अथवा पीएचडी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक चयन वर्ष में निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 125 नए अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ती प्रदान की जाती है। छात्रवृत्तियां प्रदान किए गए 125 उम्मीदवारों में से, 115 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, 06 विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए और 04 भूमिहीन कृषि मजदूरों के उम्मीदवारों और पारंपरिक कारीगरों के लिए हैं। प्रत्येक वर्ष की 30% छात्रवृत्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई हैं।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करने के लिए, अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में कम से कम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना चाहिए, सभी स्रोतों से अभ्यर्थियों की कुल पारिवारिक आय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, चयन वर्ष की पहली अप्रैल को अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा उनके पास

नवीनतम क्यूएस रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 500 क्यूएस रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय से बिना शर्त प्रवेश का प्रस्ताव होना चाहिए।

(ख) और (ग): पिछले 5 चयन वर्षों के दौरान 575 छात्रों का चयन किया गया है, इनमें से राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत 412 छात्र विदेशों में अध्ययन के लिए गए हैं।

(घ): चयन वर्ष 2021-22 से स्लॉटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है तथा वर्तमान में स्लॉटों में और वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******